रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230471 CG-DL-E-18102021-230471

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3915] No. 3915] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसुचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4262(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 121 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2021, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 13 जनवरी, 2021, को उपलब्ध करा दी गई थी:

और, पूर्वोक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान का नाम जम्मू प्रांत के सुप्रसिद्ध और पुराने शहर "िकश्तवाड़" के नाम पर रखा गया था जो इसका प्रवेशद्वार है, यह जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ग्रेट हिमालयन पर्वतों के उंचे-नीचे भू-भाग में 2191.50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और उक्त राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ शहर के उत्तर में लगभग 60 किलोमीटर और जम्मू से 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है;

5880 GI/2021 (1)

और, किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचना संख्या एफएसटी-20 का 1981, तारीख 4 फरवरी, 1981 द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, इसका क्षेत्रफल 425 वर्ग किलोमीटर है, और जम्मू और कश्मीर सरकार ने किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान की अधिसूचना सं. एसआरओ-212, तारीख 6 जुलाई, 2015 को पुन: अधिसूचित किया गया था जिसमें 2191.50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल सम्मिलित है:

और, किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान और इसके निकटवर्ती वन क्षेत्र को इसके स्थानिक वन्यजीवों के कारण संरक्षण के उद्देश्य से प्राथमिकता दी जाती है, यह क्षेत्र लुप्तप्राय जैवविविधता- की व्यवहार्य संख्या को आश्रय प्रदान करता है और यह कई जंगली वनस्पति और जीवजंतु प्रजातियों के प्रवर्धन, संरक्षण और स्थायीकरण के लिए "जीन पूल" का प्रतिनिधित्व करता है;

और, किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान अत्यंत लुप्तप्राय प्रजाति हंगुल या कश्मीरी स्टैग (केरवस एलाफस हंगुल) और कस्तूरी मृग (मोसचस् क्रेसोगेटर) के वास के लिए जाना जाता हैऔर , यहां उक्त राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में स्तनधारियों की लगभग 25 प्रजातियां और पक्षियों की 200 प्रजातियां सूचित की गई हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र लुप्तप्राय, दुर्लभ शाकाहारी और मांसाहारी पशुओं जैसे एशियाई काला भालू) उर्सस थिबेटानस(, हिमालयन ब्राउन भालू (उरसूस आर्कटोस इसाबेल्लिनस), गोरल (नैमोरहेडस गोरल), हिमालयन लंगूर (सेम्नोपिथेकस अजाक्स), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), स्त्रो तेंदुआ(पेन्थेरा उंकिया), इबेक्स(कापरा इबेक्स), हिमालयन माउस खरगोश (ओचोटोना रोयलेइ), हिमालयन मार्मोट (मार्मोट बोबाक), लाँग टेल्ड मार्मोट (मार्मोट कौडेट), सियार) कैनिस ऑरियस,(रेड लोमड़ी (वुल्पेस वुल्पेस) और पक्षी प्रजातियों जैसे पश्चिमी ट्रगोपैन) ट्रगोपन मेलानोसेफेलस), मोनल (लोफोफोरूस इम्पेजानस), गोल्डन ईगल (एक्विला क्रायसिटोस), स्त्रो तीतर (लेरवा लेरवा) और चकोर तीतर (एलेक्टोरिस चोकर), हिमालयन ग्रिफ्फोन गिद्ध (जिप्स हिमालयेंसिस), बेअरडेड गिद्ध (जिपाइतुस बारबाटुस), कश्मीर फ्लाईकैचर (फिकेडुला सुबरूब्र), आदि की बृहतु संख्या को आश्रय प्रदान करता है;

और, किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता इसकी स्थलाकृति, जलवायु और ऊंचाई में स्पष्ट भिन्नता है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में वन वनस्पति की विविधता होती हैऔर , कीबर, नांथ और कियार तीनों विशिष्ट नालों के निचले जलग्रहण क्षेत्रों में विविध प्रजातियों के अनुकुल मिश्रण से उपयुक्त पहलुओं पर वन विकास होता है;

और, िकश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान में आर्द्र देवदार वन, पश्चिमी मिश्रित शंकुधारी वन, आर्द्र शीतोष्ण पर्णपाती वन, कम ऊंचाई के ब्लू पाइन वन, पश्चिम हिमालयन ऊपरी ओक-फीर वन, चीलगोज़ा पाइन वन, शुष्क देवदार वन, पर्रोटिया (पोहू) झाड़ी वन, पश्चिम हिमालयन उच्च स्तर शुष्क ब्लू पाइन वन, पश्चिम हिमालयन उप-अल्पाइन ब्रीच/फीर वन, उप-अल्पाइन चरागाह, ब्रीच/रहोडोडैंड्रोन झाड़ी वन, अल्पाइन चरागाह हैं और उच्च ऊंचाई और अच्छी नमी के कारण, देवदार-कैल वन में फीर वन प्रमुख हैं और बृहत पत्ती वाली प्रजातियां नालों के किनारे और अपेक्षाकृत ठंडे और नमस्थलों तक ही सीमित हैं, पर्रोटिया भी पैचों में होता हैऔर , इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण औषधीय पौधों जैसे सोस्सुरेया लाप्पा, डायस्कोरिया एसपीपी, पोडोफयल्लुम एसपीपी, बेल्लाडोना एसपीपी, बेरगिनिया एसपीपी, स्किम्मेया एसपीपी, पिक्कोरहिजा एसपीपी और एकोनित्म एसपीपी, आदि की बड़ी विविधता भी है;

और, उक्त राष्ट्रीय उद्यान का जलग्रहण क्षेत्र जम्मू प्रांत की प्रसिद्ध चेनाब नदी के स्त्रोत के अलावा, संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनों ग्रामों के लिए पेयजल और सिंचाई के जल का स्त्रोत है:

और ,िकश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं ,जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1)और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0.51 किलोमीटर से 10.106 किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित (हा गया हैत् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कजिसे इसमें इसके पश्चा) करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :-

- 1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0.51 किलोमीटर से 10.106 किलोमीटर के साथ 547.09 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है।
- (2) किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-।** के रूप में संलग्न है।
- (3)सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए राष्ट्रीय उद्यान के मानचित्र **उपाबंध –॥क, उपाबंध –॥ख ,उपाबंध –॥ग** और **उपाबंध –॥घ** के रूप में संलग्न है।
- (4) किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू- निर्देशांकों की सूची **उपाबंध -III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।
- (5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और संघ राज्य क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।
- (2) संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्य क्षेत्र विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-
 - (i) जम्मू और कश्मीर सरकार का पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग;
 - (ii) जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
 - (iii) आवास और शहरी विकास विभाग;
 - (iv) पर्यटन विभाग;
 - (v) ग्रामीण विकास विभाग;
 - (vi) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग;
 - (vii) लोक निर्माण और बिजली विकास विभाग:

- (viii) राजस्व विभाग;
- (ix) आपदा प्रबंधन;
- (x) कृषि विभाग;
- (xi) नगर निगम, जम्मू;
- (xii) शहर योजना विभाग, जम्म्।
- 4)) आंचिलक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं. जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यांकन करेगी।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान की जाएगी और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय और संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।
- (9) संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
- 3. संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-
- (1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगाजैसे,-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और
- (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

- (ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनवनीकरण करने के : प्रयास किए जाएंगे।
- (2) प्राकृतिक जल स्नोतों.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।
- (3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना संघ राज्य क्षेत्र पर्यटन विभाग द्वारा संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।
- (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।
- (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-
- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।
- (6) ध्विन प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।
- (7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
- (8) बहिस्राव का निस्सरण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) यानीय यातायात.- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचिलक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचिलक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।
- (15) यानीय प्रदूषण.- लागू विधियों के अनुपालन में यान प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (16) औद्योगिक ईकाइयां.- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-
- (क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;
- (ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
	क. प्र	तिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय
	अपघर्षण इकाइयां।	निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या
		मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी
		प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर
		उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी;
		(ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में

2.		टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारास्थातका सबदा जान म काइ नया उद्याग लगान आर वतमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
	आ. वि	नियमित क्रियाकलाप
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक ,इनमें जो भी निकट है , नए वाणिज्यिक होटल औरिरसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकारके नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित (1)अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:

11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	परंतु यह कि, गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमोंयदि कोई हों ,, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे। फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) संघ राज्य क्षेत्र सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्घ उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्ह्याव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के

		पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्नाव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
23.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित)अन्यथा उपबंध को छोड़कर (होंगे।
24.	खुले कुंआ बोर ,कुंआआदि कृषि और , अन्य उपयोग के लिए।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जायेगी।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पोलिथीन बैग के उपयोग की अनुमित है: परंतु यह कि, विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, इसे लागू
		विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
29.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	इ. सं	वर्धित क्रियाकलाप
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैससौर प्रकाश ,, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि/वन/वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए, मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
1.	जिला कलेक्टर या उपायुक्त किश्तवाड़	अध्यक्ष,पदेन;
2.	क्षेत्रीय वन्यजीव वार्डन जम्मू क्षेत्र, जम्मू	सदस्य;
3.	वन और पारिस्थितिकी और रिमोट सेंसिंग विभाग का प्रतिनिधि, जम्मू और कश्मीर सरकार	सदस्य;
4.	क्षेत्रीय अधिकारी जम्मू, संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जम्मू और कश्मीर सरकार	सदस्य;
5.	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है(सदस्य;
6.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ) जम्मू और कश्मीर सरकार के संघ राज्य क्षेत्र प्रतिष्ठित संस्थान या जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय से (को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है	सदस्य;
7.	जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
8.	राजस्व विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
9.	आवास और शहरीग्रामीण विकास विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार का एक/ प्रतिनिधि	सदस्य;
10.	जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषि उत्पादन विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
11.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
12.	प्रादेशिक प्रभागीय वन अधिकारी, वन प्रभाग मारवाह	सदस्य;
13.	संबद्ध वन्यजीव वार्डन (किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई वाले राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी)	सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

- (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबंद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के जून तक 30 प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- 7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार , कर सविनिर्दिष्ट ,यदि कोई हों , उपायअतिरिक्तकेंगी।
- **8. उच्चतम न्यायालय, के आदेश आदि**.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/9/2020-ईएसजेड]

डॉ .सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

<u>उपाबंध- ।</u> किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दिशा विवरण पूर्व पर्वत श्रेणी कारगिल जिले को किश्तवाड़ जिले से अलग करती है। पश्चिम रेनाई, कियार, नंथ और कीबर नाला के तट पर स्थायी ग्राम। उत्तर पर्वत श्रेणी कैनथल और कुलहोयन नाला के जल-विभाजक से अलग करती है। दक्षिण ब्रम्मह चोटी से कीबर ग्राम तक कीबर नाला के ओराग्राफिक लेफ्ट रिज़।


सारणी क: किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं का विवरण

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं का विवरण

दिशा	विवरण	भू-निर्देशांक	
(५२।।	विवरण	अक्षांश	देशांतर
पूर्व	बहुत उच्च पर्वत श्रेणी (ब्रम्माह से नूनकुन)	33°39'10.40"	76°31'56.92"
पश्चिम	मारवह नदी और मानव वास	33º27'17.41"	76º10'19.40"
उत्तर	रीनाई नदी और झनस्कर पर्वत	34º01'07.83"	76º00'38.48"
दक्षिण	कीबर नाला ओराग्राफिक लेफ्ट रिज	33º41'35.55"	75º45'09.24"


उपाबंध- II क

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर सहित किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध-॥ ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर सहित किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र




<u>उपाबंध-II ग</u> किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र



<u>उपाबंध-II घ</u>

किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान का भूमि उपयोग और भूमि कवर मानचित्र



उपाबंध III

क. िकश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	पहचान किए गए मुख्य बिंदु	मुख्य बिंदु के अवस्थान/	भू-नि	ोर्देशांक
		दिशा	अक्षांश	देशांतर
1	एन1	उत्तर	33º00'52.00"	76º00'45.69"
	ए		34° 02'11.73"	76°05'54.94"
2	एनई1	उत्तर पूर्व	33° 56'36.33"	76°18' 19.93"
	सी		33°53'51.66"	76° 19'19.84"
3	ई1	पूर्व	33° 41'49.62"	76°15'52.14"
	एफ		33°34,11.77"	76°16'12.96"
4	एसई1	दक्षिण पूर्व	33° 32'45.54"	76°16'9.72"
	जी		33°29'09.88"	76°14'04.98"

5	एस1	दक्षिण	33° 27'28.00"	76°10'05.00"
	एच		33°27'11.63"	76°01'38.15"
6	एसडब्ल्यू1	दक्षिण पश्चिम	33° 26'39.99"	75°54'59.60"
	जे		33° 33'05.79"	75°52'13.42"
7	डब्ल्यू1	पश्चिम	33° 41'45.85"	75°40'49.30"
	के		33°44'48.27"	75°52'35.49"
8	एनडब्ल्यू1	उत्तर पश्चिम	33° 49'23.16"	75°47'51.75"
	एल		33° 55'22.77"	75°54'02.76"

ख. किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	पहचान किए गए मुख्य बिंदु	मुख्य बिंदु के अवस्थान/	भू-	निर्देशांक
		दिशा	अक्षांश	देशांतर
1	ए1	उत्तर	34°02'28.78"	76°05'56.97"
	एन2		34º01'07.83"	76º00'38.48"
2	सी1	उत्तर पूर्व	33° 54'01.96"	76º 19'34.96"
	एनई1		33º56'43.43"	76º18'37.82"
3	एफ1	पूर्व	33º41'50.85"	76º16'12.40"
	ई 2		33°39'10.40"	76°31'56.92"
4	जी1	दक्षिण पूर्व	33°29'02.49"	76°14'22.63"
	एसई2		33º32'46.09"	76º16'28.97"
5	एच1	दक्षिण	33°25'08.19"	76°01'49.65"
	एस2		33º27'17.41"	76º10'19.40"
6	जे1	दक्षिण पश्चिम	33° 32'13.93"	75°49'04.77"
	एस डब्ल्यू		33º41'35.55"	75º45'09.24"
7	के1	पश्चिम	33° 43'22.45"	75°46'19.14"
	डब्ल्यू		33º41'35.55"	75º45'09.24"
8	एन डब्ल्यू	उत्तर पश्चिम	33° 55'33.14"	75°53'49.11"
	एल1		33º49'37.20"	75º41'18.41"

उपाबंध-IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अधीन पर्यटन महायोजना भी है।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2021

S.O. 4262(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 121(E), dated the 12thJanuary, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 13th January, 2021;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

AND WHEREAS, the Kishtwar High Altitude National Park was named after well-known and old town of "Kishtwar" which forms its gateway, it is spread over the undulating terrain of the great Himalayan Mountains with an area of 2191.50 square kilometres in Kishtwar District, Jammu and Kashmir, and the said National Park is located about 60 kilometres North from Kishtwar town and is 230 kilometres away from Jammu;

AND WHEREAS, the Kishtwar High Altitude National Park was declared as a National Park *vide* notification number FST-20 of 1981, dated the 4th February, 1981, with an area of 425 square kilometers, and the Jammu and Kashmir Government re-notified the Kishtwar High Altitude National Park *vide* notification no. SRO-212, dated the 6th July 2015, comprising an area of 2191.50 square kilometres;

AND WHEREAS, the Kishtwar High Altitude National Park and its adjacent forest area are given priority in order to protect its endemic wildlife, the area supports viable population of the endangered biodiversity and represents the "gene pool" for propagation, protection and perpetuation of manywild flora and fauna species;

AND WHEREAS, the Kishtwar High Altitude National Park is known to harbour the highly endangered species such as hangul or Kashmiri stag (*Cervus elaphus hangul*) and muskdeer (*Moschus crysogater*) and there are about 25 species of mammals and over 200 species of birds reported in the territories of the said National Park;

AND WHEREAS, the protected area provides shelter to a large number of endangered, rare herbivore and carnivore animals like Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*), Himalayan brown bear(*Ursus arctos isabellinus*), goral (*Naemorhedus* goral), Himalayan langur (*Semnopithecus ajax*), leopard (*Panthera pardus*), snow leopard (*Panthera uncia*), Ibex(*Capraibex*), Himalayan mouse hare (*Ochotona roylei*), Himalayan marmot (*Marmot bobak*), long tailed marmot (*Marmot caudate*), jackal (*Canis aureus*), red fox (*Vulpes vulpes*) and avi-faunal species like western tragopan (*Tragopan* melanocephalus), monal (Lophophorus impejanus), golden eagle(*Aquila chrysaetos*), snow partridge (*Lerwa lerwa*) and chakore pheasant (*Alectoris chukar*), Himalayan griffon vulture(*Gyps himalayensis*), bearded vulture (*Gypaetus barbatus*), Kashmir flycatcher (*Ficedula subrubra*), etc;

AND WHEREAS, the area of Kishtwar High Altitude National Park is characterised by marked variation of topography, climate and altitude which have resulted into diversity of forest vegetation, and the lower catchment areas of all the three conspicuous nallahs, namely Kibar, Nanth and Kiyar carry forest growth on suitable aspects with increased admixture of miscellaneous species;

AND WHEREAS, the Kishtwar High Altitude National Park consists of moist deodar forest, western mixed coniferous forest, moist temperate deciduous forest, low level blue pine forest, west Himalayan upper oak-fir forest, chilgoza pine forest, dry deodar forest, parrotia (pohu) scrub forest, west Himalayan high level dry blue pine forest, west Himalayan sub-alpine birch/fir forest, sub-alpine pastures, birch/rhododendron scrub forest, alpine pastures and due to the high elevation and good moisture regime, the fir forests are predominant over deodar-kail forest, and the broad-leaved species are confined to the sides of nallahs and on cooler and damp sites, Parrotia also occurs in patches and the area also has a vast diversity of important medicinal plants like Saussurea lappa, Diascoria spp, Podophyllum spp, Belladona spp, Bergenia spp, Skimmea spp, Piccorhiza spp and Aconitum spp, etc;

AND WHEREAS, the catchments of the said National Park are source of drinking and irrigation water to dozens of villages falling down stream to the protected area, besides feeding source to the famous River Chenab of Jammu Provence;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries which are specified in paragraph 1, around the protected area of Kishtwar High Altitude National Park as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.51 kilometers to 10.106kilometers around the boundary of Kishtwar High Altitude National Park, in the Union territory of Jammu and Kashmir as Kishtwar High Altitude National Park Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. -(1) The Eco-sensitive Zone shall be of 547.09 square kilometers with an extent 0.51 kilometers to 10.106 kilometers around the boundary of Kishtwar High Altitude National Park.
 - (2) The boundary description of Kishtwar High Altitude National Park and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**
 - (3) The maps of the Kishtwar National Park demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II A**, **Annexure-IIB**, **Annexure-IID**
 - (4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Kishtwar High Altitude National Park and Ecosensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**
 - (5) There are no villages falling within the Eco-sensitive Zone.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The Union territory Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification and get it duly approved by the competent authority in the Union territory.

- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment, Forests and Wildlife Protection Department of Jammu and Kashmir Government;
 - (ii) Jammu and Kashmir Pollution Control Board;
 - (iii) Housing and Urban Development Department;
 - (iv) Tourism Department;
 - (v) Rural Development Department;
 - (vi) Irrigation and Flood Control Department;
 - (vii) Public Works and Power Development Department;
 - (viii) Revenue Department;
 - (ix) Disaster Management,
 - (x) Agriculture Department;
 - (xi) Municipal Corporation, Jammu;
 - (xii) Department of Town Planning, Jammu.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall provide mechanism for regulating developmental activities in Ecosensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved by the Union territory Government shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by Union territory Government**.-The Union territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
 - (1) Land use.— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent

authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or Union territory Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
 - (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Union territory Department of Tourism in consultation with the Union territory Departments of Environment and Forests.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
 - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Ecosensitive Zone.
 - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Ecosensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the ecotourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- **(6) Noise pollution.** -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the Union territory Government, whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes. -Disposal and management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) Bio-medical waste.— Bio-medical waste management shall be as under:-
 - (a) the Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Ecosensitive Zone.
- (11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and demolition waste management. The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste.- The e waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

- (14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the Union territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.** (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - (b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-
 - (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
 - (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
- **4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.** All activities in the Ecosensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Ecosensitive Zone;
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil,	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:
	noise, etc.).	Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.

4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood	Prohibited.
	В	. Regulated Activities
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:
		Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission of the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
		(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the Union territory Government.

		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or Union territory Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws and underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
24.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the concerned authority.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.

28. Use of polythene bags.		Use of polythene bags are permitted within the Eco-sensitive Zone:		
		Provided that, based on specific requirement, it shall be regulated as per the applicable laws.		
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.		
	(. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.		
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.		
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.		
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.		
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.		
35.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.		
36.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.		
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.		
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.		
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.		
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.		

5. Monitoring Committee for Monitoring Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification, under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

S. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
1	District Collector or Deputy Commissioner Kishtwar	Chairman, ex officio
2	Regional Wildlife Warden Jammu Region, Jammu	Member;
3	A representative of Department of Forest and Ecology and Remote Sensing, Government of Jammu and Kashmir	Member;
4	Regional Officer Jammu, State Pollution Control Board, Jammu and Kashmir Government	Member;
5	A representative of non-Governmental organisation working in the field of Wildlife Conservation (to be nominated by the Jammu and Kashmir Government.)	Member;
6	An expert in the field of Ecology and environment (from a reputed institution or University of Union territory of Jammu and Kashmir) to be nominated by the Jammu and Kashmir Government.	Member;
7	An expert in Biodiversity to be nominated by Jammu and Kashmir Government	Member;

8	A representative of Revenue Department, Jammu and Kashmir Government	Member;
9	A representative of Housing and Urban / Rural Development Department of Jammu and Kashmir Government	Member;
10	A representative of Agriculture Production Department of Jammu and Kashmir Government	Member;
11	A representative of Irrigation and Flood Control Department, Jammu and Kashmir Government	Member;
12	Territorial Divisional Forest Officer, Forest Division Marwah	Member;
13	Concerned Wildlife Warden (In charge of Kishtwar High Altitude National Park)	Member-Secretary.

- **6. Terms of reference.** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (2) The tenure of the Monitoring Committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the Union territory Government from time to time.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union territory as per proforma appended as Annexure IV.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7. Additional measures.-** The Central Government and Union territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8. Supreme Court, etc. orders.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/9/2020-ESZ]

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF KISHTWAR HIGH ALTITUDE NATIONAL PARK AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

Table A: Boundaries Description of the Kishtwar National Park


DIRECTION DESCRIPTION	
East	The ridge separating Kargil District from Kishtwar district
West The permanent villages on the bank of Renai, Kiar, Nanth and Kibar nal	
North The ridge separating the watersheds of Kainthal and Kulhoyan Nallahs	
South	The oragraphic left ridge of Kibar nallah from Brammah peak upto Kibar village

Table B: Boundaries Description of the Eco-sensitive Zone


DIRECTION	DESCRIPTION	GEO-COORDINATES		
DIRECTION	DESCRIPTION	Latitude	Longitude	
East	Very High Mountain Range (Brammah to Nunkun)	33 ^o 39'10.40"	76 ^o 31'56.92"	
West	River Marwah and Human Habitation	33°27'17.41"	76 ⁰ 10'19.40"	
North	River Rinai and Zanskar Mountain	34 ⁰ 01'07.83"	76 ⁰ 00'38.48"	
South	The Oragraphic left ridge of Kibar Nallah	33 ⁰ 41'35.55"	75°45'09.24"	

Annexure-II A


GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KISHTWAR HIGH ALTITUDE NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




Annexure-II B MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUNDKISHTWAR HIGH ALTITUDE NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



Annexure-II C LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KISHTWAR HIGH ALTITUDE NATIONAL PARK



Annexure-II D LAND USE AND LAND COVER MAP OF KISHTWAR HIGH ALTITUDE NATIONAL PARK



Annexure-III

A. $\underline{\text{GEO-COORDINATE OF THE PROTECTED AREA OF KISHTWAR HIGH ALTITUDE}}$ $\underline{\text{NATIONAL PARK}}$

S. No.	Identification Prominent Points	Location / Direction of Prominent point	Geo- Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	N1	North	33°00′52.00″	76 ⁰ 00'45.69"
	A		34° 02'11.73"	76 ^o 05'54.94"
2	NE1	North East	33° 56'36.33"	76 ^o 18' 19.93"
	С		33°53'51.66"	76 ^o 19'19.84"
3	E1	East	33° 41'49.62"	76 ^o 15'52.14"
	F		33°34,11.77"	76 ^o 16'12.96"
4	SE1	South East	33° 32'45.54"	76 ^o 16'9.72"
	G		33°29'09.88"	76 ^o 14'04.98"

5	S1	South	33° 27'28.00"	76 ^o 10'05.00"
	Н		33°27'11.63"	76 ^o 01'38.15"
6	SW1	South west	33° 26'39.99"	75°54'59.60"
	J		33° 33'05.79"	75°52'13.42"
7	W1	West	33° 41'45.85"	75°40'49.30"
	K		33°44'48.27"	75°52'35.49"
8	NW1	North West	33° 49'23.16"	75°47'51.75"
	L		33° 55'22.77"	75°54'02.76"

S. No.	Identification Prominent Points	Location / Direction of Prominent point	Geo-Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	A1	North	34°02'28.78"	76°05'56.97"
	N2		34°01'07.83"	76°00'38.48"
2	C1	North East	33° 54'01.96"	76° 19'34.96"
	NE1		33 ⁰ 56'43.43"	76°18'37.82"
3	F1	East	33 ⁰ 41'50.85"	76°16'12.40"
	E2		33°39'10.40"	76°31'56.92"
4	G1	South East	33°29'02.49"	76°14'22.63"
	SE2		33°32'46.09"	76°16'28.97"
5	H1	South	33°25'08.19"	76°01'49.65"
	S2		33°27'17.41"	76°10'19.40"
6	J1	South west	33° 32'13.93"	75°49'04.77"
	SW		33 ⁰ 41'35.55"	75°45'09.24"
7	K1	West	33° 43'22.45"	75°46'19.14"
	W		33 ⁰ 41'35.55"	75°45'09.24"
8	NW	North West	33° 55'33.14"	75°53'49.11"
	L1		33°49'37.20"	75°41'18.41"

Annexure-IV

Performa of Action Taken Report:

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.